राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

क्रमांकः—एफ.4 (220) /प्रा.शिक्षा/एम डी एम/दिशा—निर्देश/2016 613 दिनांकः— 15-5-201

जिला कलक्टर
जिला समस्त

विषयः— मिड डे मील योजनान्तर्गत निर्देशों की क्रियान्विति के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मिड डे मील कार्यक्रम भारत सरकार की एक फ्लैग शीप योजना है जिसके द्वारा विद्यालयों में छात्रों के नामंकन एवं उपस्थिति में वृद्धि, ड्रॉप आउट को रोकना तथा सीखने के स्तर को बढावा देना मुख्य है। मिड डे मील कार्यक्रम एक बहुउद्देशीय कार्यक्रम तथा राष्ट्र की भावी पीढी के पोषण एवं विकास से जुडा हुआ है। लेकिन जिलों में इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में शिथिलता बरती जा रही है। विभाग द्वारा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु समय—समय पर व्यापक दिशा—निर्देश जारी किये गये है। इसी क्रम में निर्देशित है कि निम्नांकित बिन्दूओं के अनुसार जिले में विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

1. **खाद्यान्न का उठाव :—** प्रायः यह देखने में आया है कि विभाग द्वारा खाद्यान्न का आवंटन करने के उपरान्त भी जिले द्वारा खाद्यान्न का समय पर एवं पूर्ण उठाव नहीं किया जाता है जिसके कारण विद्यालयों में खाद्यान्न की कमी आ जाती है एवं योजना के क्रियान्वयन में रूकावट पैदा होती है। विभाग द्वारा प्रत्येक त्रैमास पर आवंटन का जिले द्वारा समय पर एवं पूर्ण उठाव करवाने की व्यवस्था करावें। विद्यालयों में खाद्यान्न की कमी से किसी भी हालत में छात्र पोषाहार से वंचित न रहे एवं खाद्यान्न की विद्यालयों में पर्याप्त खाद्यान्न की सुनिश्चितता करावें।
2. **कुकिंग कन्वर्जन मद :—** विभाग द्वारा कुकिंग कन्वर्जन मद में राशि तीन माह की अग्रिम जिलों में आवंटन की जाती है। लेकिन जिले में विद्यालयों को तत्काल राशि हस्तान्तरित नहीं करने के कारण शिक्षकों को अपनी जेब से राशि लगाकर योजना का संचालन करना पडता है। जिले में कुकिंग कन्वर्जन मद की राशि तीन माह पूर्व ही विद्यालयों के खातों में हस्तान्तरित कर दी जावे।
3. **कुक कम हैल्परः—** कुक कम हैल्पर का समय पर भुगतान हो तथा इनका निर्धारित मानदेय का भुगतान इनके बैंक खातों में किया जावे।
4. **निरीक्षणः—** मिड डे मील योजनान्तर्गत मापदण्डानुसार जिले के विद्यालयों का निरीक्षण किया जावे तथा निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों का निराकरण तत्काल करवाया जावे एवं विभाग को निरीक्षण की सूचना समय पर भिजवाई जावे।
5. **फूड टेस्टिंगः—** जिले में फुड टेस्टिंग सुनिश्चितता की जावे एवं इसकी सूचना विभाग को समय पर भिजवाई जावे।
6. **एस.एम.एस सिस्टम :—** विभाग द्वारा निर्देश दिये गये है कि विद्यालयों द्वारा नियमित रूप से एस.एम.एस.द्वारा सूचना दी जावे, लेकिन देखने में आया है कि

www.rajteachers.com

विद्यालयों द्वारा नियमित रूप से एसएमएस नहीं किया जाता जिससे मिड डे मील योजना के संचालन की सूचना समय पर प्राप्त नहीं हो पाती है।

7. **रसोईघर निर्माण :–** विभाग द्वारा बार–बार निर्देश दिये गये है कि जिले में संचालित समस्त राजकीय विद्यालय जिनमें मिड–डे–मील कार्यक्रम संचालित है, इन विद्यालयों में रसोईघर का निर्माण करवाया जाना सुनिश्चित करें। लेकिन जिलों से न तो समय पर प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होती है और जिन जिलों से सूचना प्राप्त हो रही है उनकी प्रगति भी संतोषजनक नहीं है। जिले में संचालित समस्त विद्यालयों में रसोईघर निर्माण करवाया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा राशि भारत सरकार को लौटाये जाने की स्थिति में योजना के क्रियान्वयन पर विपरीत प्रभाव पडेगा।
8. **गैस कनैक्शनः–** जिले के समस्त विद्यालयों में गैस कनैक्शन उपलब्ध कराये जावें, यदि कोई विद्यालय गैस कनैक्शन से वंचित है तो तत्काल गैस ऐजेन्सी से सम्पर्क स्थापित कर गैस कनैक्शन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

9. **शिकायतः–** विभिन्न समाचार पत्रों, न्यूज चैनल, में मिड–डे –मील से सम्बन्धित कोई समाचार प्रकाशित हो तो तत्काल इसकी जॉच करवाकर नियमानुसार कार्यवाही कर रिपोर्ट विभाग को भिजवायें। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा प्रेषित शिकायतों का निस्तारण भी नियत मियाद में निस्तारण कर जॉच रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
10. **आधार कार्डः–** जिले में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्रओं का आधार कार्ड बनवाकर इसकी सूचना तत्काल विभाग को निर्धारित प्रपत्र में विभाग को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है लेकिन जिलों से प्राप्त प्रगति उत्साहजनक नहीं है, राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों का आधार कार्ड बनवाया जाना सुनिश्चित करें एवं इसकी संख्यात्मक सूचना विभाग को भिजवायें।

अतः निर्देशित है कि निर्देशों की जिले में पालना सुनिश्चित करावें एवं मिड डे मील योजना का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करावें।

आयुक्त
मिड डे मील

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1. **जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा समस्त।**

उपायुक्त (क्रि.एवं मो.)
मिड डे मील

www.rajteachers.com